न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं. 124/2009

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ। —अपीलार्थी

बनाम

1. बलवंतसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 26 कस्बा सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. जसमीतकौर पुत्री बलवंतसिंह पत्नी जसविन्द्रपालसिंह जाति जटसिख निवासी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. मुखत्यारसिंह पुत्र विचित्रसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 26 कस्बा सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. फलकशेर पुत्र सादकखां जाति मुसलमान निवासी सादकवाली ढाणी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। —रेस्पोंडेंटान

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956

विरूद्ध आदेश अति.कलेक्टर सूरतगढ

दिनांक 10.04.2008

उपस्थितः—

श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता

श्री अजय अरोड़ा अभिभाषक रेस्पो.सं. 1

श्री भगवानदत शर्मा अभिभाषक रेस्पो. सं. 4

निर्णय दिनांक 04.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 3 ने एक प्रार्थना पत्र अति.कलक्टर, सूरतगढ के समक्ष राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11/14 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी बलवंतसिंह सी.एस.एफ.

4/1/2018
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

फार्म सरदारगढ़ में राजकीय सेवा में कम्पाउडर के पद पर वर्ष 1960 से 1997 तक रहा है एवं राजकीय सेवा में रहते हुए उसके द्वारा चक 8 एस.डी. के मु.नं. 99/384 की 19 बीघा भूमि आवंटन करवा ली। वरवक्त आवंटन अप्रार्थी राजकीय सेवा में था इसलिए उसको यह भूमि आवंटन नहीं हो सकती थी। अतः आवंटन निरस्त किया जावे। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधी.न्यायालय ने पत्रावली दर्ज रजि. कर अप्रार्थी को तलब करने, आवंटन पत्रावली तलब करने एवं तहसीलदार से रिपोर्ट मंगाने के आदेश दिये गये। सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 10.04.2008 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी राज्य सरकार की ओर से यह अपील पेश हुई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपाकर आवंटन करवाया है जिस समय अप्रार्थी/रेस्पो. द्वारा विवादित भूमि आवंटन करवाई गई उस समय वह सरकारी सेवा में था। जिसकी शिकायत होने पर अधी.न्यायालय में शिकायत पूर्ण रूप से साबित होने से भी अधी.न्यायालय ने शिकायत खारिज कर दी। अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने के आदेश जिला कलक्टर द्वारा दिये जाने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी। जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः अपील अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी को विवादित भूमि वर्ष 1977 में आवंटन हुई थी उस समय अप्रार्थी अस्थाई कर्मचारी थी अप्रार्थी ने किसी तथ्य को छिपाकर आवंटन नहीं कराया है। अधी.न्यायालय ने शिकायत खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4/1/2018
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 10.04.2008 के विरूद्ध दिनांक 17.04.2009 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर खंडन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय अति.कलक्टर सूरतगढ के निर्णय दिनांक 10.04.2008 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 खारिज किया है जो रेस्पो. वक्त आवंटन सरकारी कर्मचारी होकर इस तथ्य को छिपाया है। अतः अधी. न्यायालय के निर्णय अपास्त कर आवंटन निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी.न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 62 पर सन्दर्भ आवंटन आदेश की छाया प्रति में आवंटन आदेश आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 10.03.1977 को अपने हस्ताक्षरो व मुहर से जारी होना प्रमाणित होकर dispatch नं. 3392 दिनांक 22.03.77 को डिस्पेच होना भी होना प्रमाणित है तथा पत्रावली के पृष्ठ संख्या 61 के अनुसार रेस्पो. बलवंतसिंह को आफिस आर्डर क्रमांक 1–5(6) Estt/SFC/ 78/-591 दिनांक 13.11.1978 को दिनाक 09.01.1978 को उपलब्ध स्थाई पद के विरूद्ध स्थाईकरण किया। आदेश का Text है कि Balwant singh Designation Compunder the Central State Farm, Suratgarh (Rajasthan) a transferred Government employee of the Government of India is hereby confirmed against the permanent post of Dressor in the scale of pay of Rs. 196-3-220 FB.3-232 sanctioned vide State Farms Corporation of india Ltd., New Delhi letter No. SFCI/7-3/76/Estt. Dated 9.1.78 with effect from 9.1.78. Sd (J.S. SANDHU) DIRECTOR, इस तिथि से पूर्व रेस्पो. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 60 के मेमोरेंडम के अनुसार अस्थाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। अतः आवंटन की तिथि के दिन आवंटन नियमों का अवलोकन करने पर राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विकय)नियम 1975 जिसके तहत रेस्पो. को आवंटन हुआ है के नियम 2(xiii) में संशोधन, 21

4/1/2018
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दिनांक 11.01.1983 में नियम में यह संशोधन किया गया कि Vide notification dt. 11.1.1983 the said rule was amended further with the following additions : Privided further that the following Categories of person shall not be deemed to be landless person, namely:- (a) an employee other than a casual or work charged employee of the Govt. or of a commercial or industrial establishment or concern. His wife and children dependent on him(emphasis added). अतः दिनांक 11.01.1983 से पूर्व आवंटन नियमों के नियम 2 (xiii) के अनुसार सरकारी कर्मचारी को भूमि आवंटन का प्रतिबंध नहीं था। अतः अपीलाधीन आदेश का .सार है कि क्या वक्त आवंटन संशोधन प्रभावी नहीं था इसे Retrospective date यथा आवंटन की तिथि 10.03. 1977 को प्रभावी माना जाये, जो अधी. न्यायालय द्वारा विधिक विवेचन कर रेस्पो. के आवंटन पर लागू न होना विवेचित किया है। जिसमें हस्तक्षेप की गुजाइश नहीं है।

रेस्पो. अभिभाषक द्वारा दौराने बहस न्याय सिद्धान्त आरबीजे 1998 पेज 327 SB Civil Writ Pettion N- 1327 of 1991 गोपीराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में निर्णय दिनांक 27.08.1997 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने held किया है कि Rajasthan Colonisation (Allotment and sale of Government Land In Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules 1975 – Rule 2, 4 and 22 – Cancellation of allotment after unreasonable delay is not justified. The authorities below have recorded the finding of fact that petitioner never disclosed that he was in Govt. service and, thus , it amounted to misrepresentation. As the specific amendment has been made in 1982, to exclude the Govt. servants from the category of applicants, such a non disclosure may not amount to misrepresentation. Petitioner being a temporary allottee was in cultivator possession of the land. He may be justified to some extent to plead that he was dependent upon the agricultural income. Whatever, it may be, petitioner is in actual, physical and cultivator possession of the land in dispute and the respondent took unreasonably long period to cancel the allotment in favour of petitioner. There cannot be any justification to uproot the petitioner from the land in dispute. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय सिद्धान्त एआईआर 1994 बृजलाल बनाम राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर व अन्य पेज 1128 में विवेचित किया है कि where a temporary allotment has been made to a person and there has been no misrepresentation or fraud on the part of the allottee in getting such

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

allotment and he retained the land for a long time, the court should not disturb such allotment. The said decision has been followed by the Division Bench of this Court in Sona Ram vs. State of Raj. and Ors. 1995 AIHC 1722. wherein the allottee had joined the govt. service after the temporary allotment but definitely prior to the permanent allotment and the Division Bench took the view that as the temporary allotment had never been cancelled though it continued for years together and the allottee's family remained in cultivatory possession of the land after joining the service by the petitioner, there could be no justification for cancelling the allotment. The Division Bench observed as under :

"The allotment made in favour of the petitioner could not be cancelled and it would amount to injustice to uproot him from the land which he has held for over 34 years now. The petitioner being a "landless person" under the rules having been granted a temporary cultivation lease hold rights and as such being eligible for entitlement to permanent allotment of land on priority basis under the rules having been rightly allotted the said land, could not be said to have made any mis-statement or concealment as projected by the learned Board and by the allotting authority while cancelling the allotment." माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह विवेचन प्रकरण हाजा पर इस रूप में चस्पा योग्य जाहिर किया है कि As the specific amendment has been made in 1982, to exclude the Govt. servants from the category of applicants, such a non-disclosure may not amount to misrepresentation. Petitioner being a temporary allottee was in cultivatory possession of the land. He may be justified to some extent to plead that he was dependent upon the agricultural income. Whatever, it may be, petitioner is in actual, physical and cultivatory possession of the land in dispute and the respondents took unreasonably long period to cancel the allotment in favour of petitioner. There cannot be any justification to uproot the petitioner from the land in dispute.

पत्रावली का अवलोकन करने पर तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन करने तथा उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि रेस्पो. बलवंतसिंह सन् 1974 में सी. एस.एफ. फार्म में अस्थाई कर्मचारी नियुक्त हुआ था। सन् 1978 में रेस्पों. का स्थायी नियुक्ति मिली रेस्पों. का पेशा कृषि है। कृषक परिवार से सम्बन्धित है। राजस्थान का मूल निवासी है। आवंटन के वक्त 1977 में लागू आवंटन नियमों के तहत

4/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आवंटी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में आते हैं। भूमि आवंटन का पात्र था। रेस्पों. का आवंटन विधिवत आवंटन है। आवंटन नियमों में दिनांक 11.01.1983 को संशोधन कर भूमिहीन व्यक्ति की परिभाषा में परिवर्तन कर राजकीय सेवा में स्थायी नियुक्त व्यक्ति को भूमि आवंटन से प्रतिबंधित किया गया था। अतः यह संशोधन Retrospective date 22.03.77 के आवंटन पर लागू नहीं होने से अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी.न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.04.2008 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर